राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम श्रीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो |	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 6/4 रकबा 3.0348 हैक्टेयर बारानी 3 किता 1 कुल रकबा 3.0348 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर व अप्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 3.0348 हैक्टेयर बारानी 3 कुल किता 1 कुल रकवा 3.0348 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 6/4 रकबा 3.0348 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 6/3 रकबा 3.0348 हैक्टेयर बारानी 3 से पूर्व की ओर लगवा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी भूमि स्थित है, जिसमें से प्रार्थीगण का आवागमन है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ल. 5 अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व दिनांक 08.10.20024 को ख.न. 6/3 में से प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 6/4 में आवागमन हेतु कदीमी रास्ते में अप्रार्थीगण ने तारबन्दी कर कदीमी रास्ते को बन्द कर दिया है. प्रार्थीगण अपने बुर्जुगों के समय से मुकन्दपुरा से डिडावता जाने वाली डामर रोड से अप्रार्थीगण के ख.न. 6/3 में से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.न. 6/4 आते जाते रहे है | प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के कुछ भू-भाग पर रहने हेतु आवासीय पुख्ता मकान व नोहरे बाडे बनाकर अपने-अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है. इसलिये अप्रार्थीगण के ख.न. 6/3 के दक्षिणी मेड की तरफ से पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर जो आगे मुख्य सडक मुकन्दपुरा से डिडावता जाने वाली डामर सडक पर मिलता है जिसे नक्शें में बरंग लाल रंग से दर्शित किया गया उक्त लाल रंग से दर्शित कदीमी रास्ते से होकर अपने खातेदारी में काश्त करने व मकानों में आवागमन हेतु आते-जाते रहे है. प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार भी उक्त कदीमी रास्ते ही अपनी-अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने हेतु उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख.न. 6/4 तक पहुँचने के लिये ख.न. 6/3 में से 30 फिट चौडा रास्ता जो नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया है, कि आवश्यकता है, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6/4 रकबा 3.0348 हैक्टेयर से	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम श्रीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1330/2025		

मुख्य रास्ता जो मुकन्दपुरा से डिडावता जाने वाली डामर सडक तक पहुँचने तक के लिये ख.न. 6/3 में से जाना पडता है। जो प्रतिपक्षीगण की खातेदारी है की आराजी में से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी में जोत हेतु आने-जाने के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नही खुलता है। चारों तरफ कोई नियमति मार्ग नही है। लेकिन प्रतिपक्षीगण खातेदरों ने जोत के नियमति रास्ते (मार्ग) पर आने-जाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थीगण की खातेदारी जोत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एखस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल रंग से सुविधा के लिये दर्शाया भैया है। प्रार्थी, प्रतिपक्षीगण खातेदारान को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तैय फरमाने प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। उपरोक्त प्रतिपक्षीगण खातेदारान के खसरा नम्बर 6/3 में से होकर नवीन रास्ता बाद जाँच प्रदान किया जाना व्यायोचित है। पक्षकारान व आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान क्री सुनवाई का एवं प्रकरण का निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जैन ने उपस्थित आये | प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब बंद किया गया | सरकार की और से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08/07/2025 पारित करते हुये प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे पक्षकारान द्वारा जाहित आपत्तियो का विश्लेषण कर रास्ता कायम किये जाने बाबत आदेश पारित करते | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम श्रीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1330/2025		

न्यायालय के समक्ष प्राप्त तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता का उल्लेख नही कर केवल मात्र एक रास्ता प्रस्तावित किया गया है एवं उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश पारित कर दिया गया है, जो न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/02/2026 विधिसम्मत जाहिर नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से अन्य वैकल्पिक रास्तो को दर्शाते हुये पुन: विस्तुत रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों की सुनवाई करते हुये प्राप्त आपत्तियो का विस्तुत/विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर